न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—20/19 (2019/00141) वाद पत्र

उनवान

1—अमरी पुत्री कालुजी पत्नि घासीराम बलाई निवासी कोट हाल चावण्डखेड़ा तहसील रायपुर

वादीया

बनाम

1—नैनुड़ी पुत्री गिरदारीजी पत्नि मथरा बलाई निवासी कोट हाल जोड़लिया तहसील रायपुर
2—सोनी पुत्री गिरदारीजी पत्नि प्रेम बलाई निवासी कोट हाल रामा तहसील रायपुर
3—गेहरी पुत्री मोतीजी पत्नि भीमाराम बलाई निवासी कोट हाल जीवाखेड़ा तह. देवगढ़ राजसमंद
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह — वादीया अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद — प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 22.09.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य होकर हिन्दु विधि से शासित होते है। हिन्दु परिवार के मूल पुरूष कालु आत्मज भज्जा बलाई थे, जिनके 3 पुत्र गिरदारी, मोती, भुरा हुए तथा वादीया अमरी कालुजी की जायन्दा पुत्री है और उनकी प्रथम श्रेणी की वारीस है। ग्राम कोट के बैरून हल्का आबादी में कालु आत्मज भज्जा बलाई की खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजियात संख्या 161 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 235 रकबा 4 बिस्वा, 238 रकबा 1 बीघा, 239 रकबा 17 बिस्वा, 240 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। खातेदार कालुजी की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरणकरण संख्या 207 दिनांक 25.03.1969 को ग्राम पंचायत द्वारा फैसल किया गया जो गिरदारी, मोती, भुरा ने अपने नाम फैसेल करवा लिया जबकि वादीया मृतक खातेदार की जायन्दा पुत्री है। वादीया का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। जिससे ऐसा नामान्तरणकरण विधि विरूद्व होकर शुरू से ही शुन्य है जो निरस्त योग्य है। एवं भुरा आत्मज कालुजी लाऔलाद फोत हो जाने से गिरदारी व मोती ने नामान्तरणकरण संख्या 288 दिनांक 25.05.1971 को अपने नाम करवा लिया जो गैर कानुनी होकर विधि विरूद्व है। सजरेनुसार मृतक खातेदार कालुजी की भूमियो में मुझ वादीया का 1/3 हक व हिस्सा निहित है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का निहित है। ग्राम कोट का भु प्रबन्ध हुआ जिसमें साबिक आराजी के नवीन नम्बर आराजी संख्या 641 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 644 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 645 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 646 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 647 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 648 रकबा 0.59 है0, आराजी संख्या 649 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 650 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 651 रकबा 0.21 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.79 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 255 पर कायम किए गए। जिसमें वादीया का 1/3 हिस्सा निहित है। अतः वादीया की सादर प्रार्थना है कि घोषित ... खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 18:14:54 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार की बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित नवीन आराजियात संख्या 641, 644 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651 कुल किता 9 कुल रकबा 1.79 है0 भूमि के 1/3 हिस्से की वादीया खातेदार काश्तकार है तदनुसार वादीया के नाम 1/3 हक हिस्से से राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज करवाया जावें। एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 उक्त नवीन आराजियात को अन्य को रहन, बय, बक्षीस या किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा वादीया को उनके हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल नही करे, न अन्य से करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 22.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर अधिकार पत्र फारूख मोहम्मद द्वारा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द कर एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4 फौरमल पक्षकार है।

वादीया अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है और इसी के साथ वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादीया के पक्ष में डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक व नवीन रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि वादीया का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार पैतृक सम्पति होने से हक हिस्सा तो निहित है किन्तु राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। ऐसी स्थिति में वादीया को ग्राम कोट तहसील रायपुर की वादवर्णित आराजियात कुल किता 9 कुल रकबा 1.79 है0 भूमि में 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण ग्राम कोट पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में स्थित नवीन आराजी संख्या 641 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 644 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 645 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 646 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 647 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 648 रकबा 0.59 है0, आराजी संख्या 649 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 650 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 651 रकबा 0.21 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.79 है0 भूमि में 1/3 हिस्से का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष 2/3 हिस्सा मे से 1/3 हिस्सा गिरदारी के वारीसान एवं 1/3 हिस्सा गेहरी बेवा मोती बदस्तुर जमाबन्दी यथावत रहेगी। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 18:14:54 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–20/19 (2019/00141) वाद पत्र

उनवान

1–अमरी पुत्री कालुजी पत्नि घासीराम बलाई निवासी कोट हाल चावण्डखेड़ा तहसील रायपुर
वादीया

बनाम

1–नैनुड़ी पुत्री गिरदारीजी पत्नि मथरा बलाई निवासी कोट हाल जोड़लिया तहसील रायपुर
2–सोनी पुत्री गिरदारीजी पत्नि प्रेम बलाई निवासी कोट हाल रामा तहसील रायपुर
3–गेहरी पुत्री मोतीजी पत्नि भीमाराम बलाई निवासी कोट हाल जीवाखेड़ा तह. देवगढ़ राजसमंद
4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीया के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कोट पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में स्थित नवीन आराजी संख्या 641 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 644 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 645 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 646 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 647 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 648 रकबा 0.59 है0, आराजी संख्या 649 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 650 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 651 रकबा 0.21 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.79 है0 भूमि में 1/3 हिस्से का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष 2/3 हिस्सा मे से 1/3 हिस्सा गिरदारी के वारीसान एवं 1/3 हिस्सा गेहरी बेवा मोती बदस्तुर जमाबन्दी यथावत रहेगी।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.09.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

22.9.2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 18:14:54 IST
Reason: SelfAttested